न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–133/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. महिलाल पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी गंजपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.....वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0 ।
3. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नूरपुर ।

..... प्रति0/ रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक सं0 1 व 2

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर) के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 47 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 546 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम नूरपुर तहसील कठूमर में स्थित है । उक्त आराजी वादी को अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 15) के तहत सहायक जिलाधीश राजगढ़ मु0 अलवर द्वारा दिनांक 12.09.1975 को पट्टे पर दी गयी थी । बाद पट्टा से ही वादी उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने अर्सा करीब 30 साल बाद भी वादी की खातेदारी दर्ज नहीं की है जबकि सन् 1975 से वादी का लगातार विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है लेकिन राजस्व रेकार्ड में अभी उक्त आराजी चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु गलत दर्ज चला आ रहा है । गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण व उनके मातहत कर्मचारी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा वादी को बेदखल करना चाहते हैं । वादी को गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादी ने

23/7

प्रतिवादीगण से विवादित आराजी से गलत इन्द्राज को सही कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया । गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते हैं तथा दीगर लोगों को अलाट करना चाहते हैं । यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादी को अपार हानि होगी । इसलिए दावा डिक्री करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें पैरोकार सरकार उपस्थित आये । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 19.10.2012 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि आराजी ख0 नं0 47 रकबा 2.04 बीघा व 546 रकबा 14 बिस्वा का घोषणा का दावा तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें मैंने कहा कि मुझे दिनांक 15.9.1975 को यह आराजी आवंटन हुई तभी से मैं काबिज हूं क्योंकि मैं अलोटी था तो सरकार का दायित्व था कि वो रेकार्ड में आराजी को दर्ज करते । विवादित आराजी का मुझे खातेदार काश्तकार घोषित करें और सरकार को पाबन्द करें कि वे मुझे विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें । मैंने आवंटन कमेटी का आवंटन आदेश की नकल पेश की है । पट्टा मुझे दिया गया था । एक खसरा नम्बर 30 ओर था पर वह सहवन से दावा मेंने में शामिल नहीं हुआ । अब मैंने दो ही नम्बरों का दावा किया है । तहत न्यायालय ने विवादित आराजी को चारागाह में मानकर दावा निर्णित किया । इन्तकाल सं0 26 से किस्म परिवर्तन हुआ । आराजी चारागाह से सिवायचक हुई तब मुझे आवंटन किया गया है । अतः सरकार का यह कहना कि चारागाह से आवंटन नहीं हो सकता है, गलत है । मैंने सम्वत् 2021 की जमाबन्दी पेश की है । खाता सं0 1 में ख0 नं0 35 रकबा 2.04 बीघा का अवलोकन कराया । रेकार्ड में यह सिवायचक जोत, कृषि के लिए उपलब्ध थी । सम्वत् 2028 में बन्दोबस्त ने चारागाह किया है, उसके बाद इसका इन्तकाल नं0 26 से किस्म परिवर्तन हुआ और मुझे आवंटन हो गया । सरकार ने आदिनांक तक आवंटन निरस्त नहीं कराया है । यदि इनको ऐतराज था तो पहले आवंटन निरस्त कराते । आवंटन नियमों के अनुसार 10 वर्ष में खातेदारी मिलनी चाहिए । अभी तक नहीं मिली है । एक गिरदावरी सम्वत् 2032 की पेश की है जिसमें चना, लाहा मेरा है तथा जिससे मेरा कब्जा सिद्ध होता है । तहत न्यायालय ने बिना आधार के सभी तनकिया खिलाफ कानून व मौका के पारित की है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए विवादित आराजी का अपीलांट को खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पेज 559, 341, आर.एल.डब्ल्यू. 2002 पेज 1000, आर.आर.टी. 2018 पेज 285 प्रस्तुत की ।

प्रतिउत्तर में पैरोकार सरकार ने बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी पर इनका कब्जा नहीं है । आवंटन आदेश और पट्टे की शर्तो की पालना नहीं की है । कब्जे की कोई गिरदावरी पेश नहीं की है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व

सरोकार नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय सही है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 19.10.2012 का अवलोकन किया गया जिसमें ये तथ्य उभरकर आये कि –

1. क्या अपीलांट को विवादित आराजी आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई है ?
2. क्या विवादित आराजी की किस्म चारागाह से सिवायचक की गयी है ?
3. क्या बन्दोबस्त ने इस नामान्तकरण जिससे विवादित आराजी को चारागाह से सिवायचक किया है, दर किनार करके पुनः विवादित आराजी को चारागाह दर्ज किया है ?
4. क्या विवादित आराजी पर अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है ?

तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2012 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के इन बिन्दुओं पर गौर नहीं किया और न ही इन बिन्दुओं पर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट/वादी के वाद के यही मूल आधार हैं । अतः तहत न्यायालय का निर्णय रेकार्ड के अनुसार न होकर केवल हाल इन्द्राजों के आधार पर पारित किया है जो सही नहीं है । अपीलांट अभिभाषक द्वारा जो कानूनी नजीरें पेश की गयी है, उनकी विवेचना में भी प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने योग्य पाया जाता है । तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर) के निर्णय दिनांक 19.10.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर दिये गये बिन्दुओं का परीक्षण करते हुए पुनः अपीलांट को विधिवत् साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/18

(कमलेराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर